पानी निकासी को लेकर पेट्रोल पम्प मालिक से विवाद, हंगामा

मौके पर पंहुचे तहसीलदार, नहीं पंहुची पुलिस, अनेक मकान जलमग्न नाले के पानी का बहाव हुआ सकरा

मंडला, देशबन्धु। नेशनल हाईवे से लगे हुए ग्राम खड़देवरा पदमी चौराहा में खुसरा नाला का पानी अनेक घरों को क्षति पंहुचाते हुए आवाजाही को बाधित कर दिया है। आपको बता दें कि, खुसरा नाला ग्राम कोसमघाट से लेकर बीच के अनेक गॉवों के खेतों का पानी लेकर बहता है।

पिछले वर्षों में उक्त नाला का पानी लगभग 30 मीटर चौंड़ाई से बहा करता था लेकिन पिछले दिनों अनेक निर्माण होने की वजह से उक्त नाले का पानी कहीं 10 कहीं 15 मीटर चौंड़ाई से बह रहा है पानी का बहाव सकरा हो गया है जिसके चलते ग्राम औघटखपरी कॉलोनी एवं खड़देवरा पदमी चौराहा की बस्तियों में पानी भरा रहता है। इस नाले के उपर नेशनल हाईवे की बनायी गई पुलिया भी बहाव को बाधित करती है एवं निर्मित पेट्रोल पम्प से भी पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है। इससे बस्तियों में पानी के ठेल मारने के कारण घरों में पानी घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमपीआरडीसी द्वारा बनायी गई घुघरी सड़क में भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे खुसरा नाला में पानी का दबाव बढ़ गया है। पिछले शुक्रवार को घरों में पानी भरा देख पीड़ित एवं स्थानीय लोगों द्वारा जेसीबी मशीन बुलाकर पानी निकासी के लिए सफई की जा रही थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों एवं पेट्रोल पम्प मालिकों के बीच रात्रि में घण्टों हंगामा होता रहा। मौके पर नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ पंहुचे और यह कहते हुए चले गए कि कल सब ठीक हो जायेगा। इसी बीच क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य संदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे जिनकी उपस्थिति में जेसीबी मशीन का उपयोग कर साफसफई की गई।

इस दौरान ओम शांति राईस मिल के मालिक से भी वाद विवाद होता रहा लेकिन घटना स्थल से दो किलोमीटर की दूरी में स्थित हिरदेनगर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर नहीं पंहुची जबकि मौजूद पत्रकारों ने एस.आई.शिवशंकर राजपूत को फेन लगाया लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। मौजूद जागरूक लोगों की वजह से कोई घटना घटित नहीं हुई जबकि सैकड़ों लोगों की भीड़ में अनेक लोग नशे में थे। इस अवसर पर पुलिस का मौके पर ना पंहुचना पुलिस की सजगता पर सवाल खड़े करता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब कभी कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तब ही दूर दृष्टि का ध्यान रखते हुए समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

कृषक फसलों को जोखिम से बचाने करवाएं फसल बीमा

मंडला, देशबन्धु। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2025 अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला श्री अश्वनी झारिया ने जिले के समस्त कृषकों एवं विशेषकर डिफल्टर कृषकों से अपील की है कि वे इस अवधि का लाभ लें एवं अधिक से अधिक अऋणी कृषकों के रूप में अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं।

खरीफ वर्ष 2025 में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, फसल पटवारी हल्का स्तर पर घुघरी, निवास एवं बिछिया में कोदो-कुटकी तहसील स्तर पर तथा उड़द फसल जिला स्तर पर अधिसूचित फसलें है। धान सिंचित की प्रीमियम राशि 814, धान असिंचित की 693, मक्का 590, अरहर 612, कोदो-कुटकी 398 एवं उड़द की प्रीमियम राशि 556 रूपए प्रति हैक्टेयर है।

श्री झारिया ने बताया कि बीमा करवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड की प्रति, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, नवीनतम खसरा-खतौनी आदि की प्रतिलिपि, स्वयं द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, किरायेदार (बटाईदार) किसानों के लिए लागू अनुबंध/समझौते के लिए शपथ पत्र की प्रति, आईएफएससी नंबर और बैंक खाता संख्या या रद्द किए गए चैक या बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यकता होगी। बीमा अऋणी कृषक के रूप में कृषक संबंधित बैंक जिसमें कृषक का बचत खाता हो या ग्राहक सेवा केन्द्र अथवा ब्लॉक में उपस्थित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से, तथा सहकारी समितियों में भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाय के माध्यम से 31 जुलाई तक करवा सकते हैं।

लैड स्लाइड से जबलपुर मार्ग पर खतरा

मंडला, देशबन्धु। जबलपुर की ओर यात्रा कर रहे या वहाँ से लौट रहे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जबलपुर मार्ग पर कई स्थानों पर चट्टानें और पत्थर गिरे हुए पाए गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। शारदा मंदिर के समीप भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा सावधानीपूर्वक और सूझबूझ से करें। संभव हो तो यात्रा को स्थगित करें या वैकल्पिक मार्ग का चयन करें। प्रशासन द्वारा मार्ग साफ कराने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। कृपया यह सूचना अन्य यात्रियों तक भी पहुँचाएं ताकि सभी सुरक्षित रह सकें।

स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी- यदि आप चाहें तो इस समाचार को सोशल मीडिया पोस्ट, स्थानीय न्यूज चौनल बुलेटिन, या पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। क्या आप इसे और भी स्थानीय भाषा या स्वरूप में चाहते हैं।

सार-समाचार

जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर किया पौधरोपण

मंडला, देशबन्धु। जन अभियान परिषद के 28वे स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत माली मोहगांव में परिषद की टीम द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रत्येक सुअवसर पर हम सभी को पौधारोपण करना चाहिए। यह प्रकृति के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस दौरान खाली पड़ी भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर विकासखंड समन्वयक, नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, समस्त मेंटर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।

महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित

मंडला, देशबन्धु। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मण्डला में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय, डी.पी.एफ वार्षिक लेखा पर्ची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय किया जाना, पात्रता अनुसार स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदन, निमयानुसार एरियर्स का भुगतान किए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पात्रता अनुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किया गया है एवं वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में किसी कर्मचारी का पेंशन प्रकरण, अनुकम्पा नियुक्ति लंबित नहीं है। इस दौरान बैठक में जिला कार्यालय प्रमुख श्रीमती शालिनी तिवारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मण्डला कर्मचारी, एवं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हुए।

अब तक 565.0 मिमी वर्षा दर्ज

मंडला, देशबन्धु। जिले में एक जून से 5 जुलाई तक की अवधि में औसत रूप से कुल 565.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 5 जुलाई की सुबह तक बीते 24 घंटे में जिले में औसतन 39.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इस दिन तहसील मंडला में 34.2 मिमी, नैनपुर में 41.4 मिमी, बिछिया में 7.1 मिमी, निवास में 188.4 मिमी, घुघरी में 59.6 मिमी एवं नारायणगंज में 172.2 मिमी वर्षा आंकी गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुलाई तक तहसील मंडला में 640.0 मिमी, नैनपुर में 624.2 मिमी, बिछिया में 471.0 मिमी, निवास में 557.7 मिमी, घुघरी में 441.3 मिमी एवं नारायणगंज में 662.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसी अवधि में पिछले वर्ष जिले में औसतन 281.5 मिमी वर्षा हुई थी। इस अवधि में पिछले वर्ष तहसील मंडला में 411.2 मिमी, नैनपुर में 317.8 मिमी, बिछिया में 286.8 मिमी, निवास में 217.5 मिमी, घुघरी में 181.6 मिमी एवं नारायणगंज में 280.5 मिमी वर्षा आकी गई थी।

सवरी और मीरा जैसी भक्ति हो तो भगवान स्वयं आते हैं : मुनिश्री नीरज सागर

पिंडरई, मंडला, देशबन्धु। व्रती नगरी पिंडरई में अष्टाह्निका पर्व में सिद्धाराधना का दूसरा दिन.. सभी भक्तों ने मिलकर श्रीजी जा अभिषेक किया तदुपरांत मुनि श्री के मुखारबिंद से विश्व शांति की भावना से शान्तिधारा कराई गई। विधानाचार्य ब्र. विनोद भैया जी ने अपने मधुर कंठ से सिद्धाराधना करते हुए जनमानस को भक्ति के रंग ने रंग दिया। इसी मध्य परम पूज्य मुनि श्री नीरज सागर जी महाराज की मंगल देशना का लाभ सभी को मिला। मुनि श्री ने नंदिश्वरद्वीप की महिमा बतलाते हुए सवरी और मीरा जैसी भक्ति करने के लिए प्रेरित किए। ज़ब हम सबरी की तरह भगवान श्रीराम को पुकारेंगे तभी श्रीराम आएंगे। सबरी एक भील लड़की थी उसकी शादी में पशुओं के बध कर बरातियों के लिए भोजन तैयार किया जायेगा ऐसा सुनकर उसे वैराग्य आ गया और वह एक आश्रम जा कर गुरुओं की सेवा करते हुए भगवान श्रीराम का नाम स्मरण करने लगी लगातार 3 हजार वर्ष इंतजार की तब जा कर भगवान श्रीराम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया।

पिंडरई में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा

पिंडरई, मंडला, देशबन्धु। पिछले 24 घण्टे से लगातार हो रही वर्षा से पिंडरई से केवलारी मार्ग पर बने पुल पर वर्षा के बाद थावर नदी उफ़ान पर चल रही हैं अधिक वर्षा के कारण थावर नदी के पुल के ऊपर तक पानी पहुंच गया पुल डूबने के कारण आवागमन बंद हो गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अधिक वर्षा के बाद आ गया पुल पर पिछले 10 घण्टो से तीन से चार फीट पानी था।

ये पुल तेज उफान पर था जिससे कई गांव के लोगों का पिण्डरई से संपर्क टूट गया। तेज वर्षा के बाद ये पुल पहली बार आया है लेकिन लोगों ने कम पानी होने के बाद आवागमन शुरू कर दिया जिन्हे रोकने के लिए पिंडरई पुलिस चौकी प्रभारी राजकुमार हिरकने एवं उनकी पूरी टीम लगी हुई है। वहीं पिंडरई के थावर नदी के किनारे जितने भी घर है पानी की चपेट में आ चुके है उन घरों में रहने वाले लोगों की व्यवस्था ग्राम पंचायत पिंडरई के उपसरपंच जितेंद्र सिंह राजपूत, और सरपंच संदीप मरकाम ने बाजार चौक के सामुदायिक भवन और ग्रैंड स्टोरेज भवन को खाली करवा कर उन ग्रामीणों की रहने और खाने की व्यवस्था कर दी है और लगातार ग्राम पंचायत पिंडरई के पदाधिकारी और कर्मचारी बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का आकलन कर रही है और ग्राम पंचायत पिंडरई की पूरी टीम ग्रामीणों के लिए लगी हुई है, और वहीं छोटे छोटे पुल पुलिया के ऊपर से पानी जाने से पिंडरई से नैनपुर जाने का रास्ता और आस पास गांव का आवागमन टोटल बंद हो चुका है जिसके कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। थावर डैम का पानी अभी नहीं खोला गया है पर अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी तो थावर डैम के गेट खोलने की संभावना बन रही है।।

शिवांश को मिला नया, जीवन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत रंग लाई

मंडला, देशबन्धु। जिले के विकासखण्ड मवई ग्राम खैरी के निवासी श्री बलराम मरावी और श्रीमति अंजना मरावी के घर समय से पूर्व बच्चा शिवांश पैदा हुआ। जिसका वजन केवल एक किलो था। समय से पहले जन्मे को उसके माता-पिता अपनी मर्जी से जबलपुर मेडिकल कॉलेज वापस घर ले आये थे। 5 माह के शिशु शिवांश को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की लगातार कोशिशें आखिरकार रंग लाई।

मामले की जानकारी इस प्रकार है कि 29 जून को संभाग स्तरीय डॉ0 सोनाली ठाकरे ने मण्डला के डीसीएम श्री हिमांशु सिंगौर को सूचना दी कि 5 माह का शिशु शिवांश जो वेंटीलेटर में रहा। उसके माता-पिता अपनी मर्जी से घर ले गये। डॉ0 ठाकरे ने बताया कि बच्चे को अभी भी खांसी चल रही है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्कता हैं। डीसीएम मण्डला के द्वारा जानकारी मिलते ही तत्काल कार्यवाही की गई। बीसीएम के माध्यम से सीएचओ एवं आशा कार्यकर्ता को बच्चे के घर भेजा गया।

स्वास्थ्य टीम ने बच्चे की जांच की एवं परामर्श दिया एवं अस्पताल में भर्ती कराने हेतु परामर्श दिया, लेकिन परिवार ने अस्पताल जाने से मना कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस का सहयोग लिया, फिर परिवार वाले बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नही थे। जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर के द्वारा घटना की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा मवई बीएमओ से बात की। अगले दिन सीएचओ, आशा कार्यकर्ता को बच्चे को अस्पताल में ले जाने के लिए भेजा। लेकिन परिवार ने फिर मना कर दिया। ब्लॉक में एस.डी.एम. को सूचित किया गया। डी.सी.एम. ने सरपंच से बात की और सीएचओ से लगातार संपर्क में रहते हुए, उन्हें किसी भी स्थिति में बच्चे को जिला चिकित्सालय मण्डला भेजने का निर्देश दिया। 1 जुलाई को शिशु की मां और दादी, आशा बच्चे को लेकर जिला चिकित्सालय मण्डला पहुंचे बच्चे की समान्य जांच कराई गई। लेकिन पुनः परिवार ने बच्चे को घर ले जाने की जिद पर अड़े रहे। सबकी समझाइश के बाद बच्चे को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया एवं बच्चे की गंभीर स्थिति में देखते हुए उच्च संस्था मेडिकल कॉलेज जबलपुर में रिफर किया गया। 3 जुलाई को 108 वाहन से मेडिकल कॉलेज जबलपुर उच्च इलाज हेतु भेजा गया।

कम वजन एवं कमजोर नवजात बच्चों के लिए एसएनसीयू एक महत्वपूर्ण घटक है। यहां का ट्रेन्ड स्टॉफ और डॉक्टर द्वारा बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। उनके जीवन और स्वास्थ्य में वृद्धि तथा विकास बेहतर ढंग से हो। सभी ऐसे अभिभावक जिनके जन्मजात बच्चे कमजोर हैं, वे विभागीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क कर एसएनसीयू में भर्ती करा सकते हैं। अब शिवांश पूरी तरह स्वस्थ है।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें : जिला पंचायत सीईओ

जिला योजना भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन

मंडला, देशबन्धु। जिला योजना भवन में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराएं।

जिले की ग्रेडिंग जारी होने में 2 सप्ताह का समय शेष है, अभी तक विभागों की संतुष्टि का प्रतिशत निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले माह की शिकायतों के निराकरण के साथ-साथ 50 दिवस से अधिक की शिकायतों पर भी विभाग प्रमुख फोकस करें। जिन शिकायतों में निराकरण कराया जाना शासन स्तर पर निर्भर है उनके संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से विभाग को डीओ लेटर भिजवाना सुनिश्चित कराएं। सीईओ जिला पंचायत ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समग्र ईकेवाईसी तथा सामाजिक न्याय के संबंध में आई शिकायतों का दैनिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए निराकरण सुनिश्चित कराएं। टीएल प्रकरणों के संबंध में उन्होंने कहा कि समय पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। निराकृत प्रकरणों के प्रतिवेदन संबंधी फाईल ई ऑफिस के माध्यम से प्रेषित करें। ऑफलाईन फाईलें स्वीकार नहीं की जाएंगी। न्यायालय की अवमानना एवं रिट पिटिशन के प्रकरणों के संबंध में उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरणों में समय पर कम्पलाईस करें। रिट पिटिशन में न्यायालय द्वारा दिए गए डायरेक्शन का समय पर पालन सुनिश्चित कर प्रतिवेदन जमा कराएं। बैठक में आयुष्मान कार्ड, आरबीआई के निर्देशानुसार जनधन तथा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के कैम्प, मेडीकल बोर्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि विषयों पर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित संबंधित जिला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। समस्त एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, सीएमओ नगरपालिका तथा बीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

शासकीय महाविद्यालय अंजनिया में हुआ प्रवेशोत्सव का आयोजन

मंडला, देशबन्धु। सत्र 2025-26 के प्रारंभ होने पर प्रभारी प्राचार्य एवं नोडल प्रवेश प्रभारी डॉ. नवीन कुमार हरदहा के मार्गदर्शन व डॉ. घनश्याम झरिया के संचालन में शासकीय महाविद्यालय अंजनिया में प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। प्राचार्य द्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कार्यक्रम का उद्देश्य, संस्थान की अकादमिक संस्कृति, मूल्य एवं संसाधनों से परिचय कराया गया। डॉ. विजय मौर्य ने शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उपयोग की प्रक्रिया से परिचित कराते हुए व्यक्तित्व विकास में सहायक होना बताया। उपस्थित समस्त स्टॉफने विषय एवं नवीन शिक्षा नीति 2020 के संबंध में अपने-अपने विचार प्रकट किए।

नगरपरिषद बिछिया में सामान्य अवकाश घोषित

मंडला, देशबन्धु। बिछिया नगर परिषद में आगामी 7 जुलाई को वार्ड क्रमांक 13 में उप चुनाव के लिए मतदान संपन्न कराया जायेगा। नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) के मतदान 7 जुलाई 2025 (सोमवार) को जिले के बिछिया नगर निकाय के वार्ड क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। केवल संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिये परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेटस एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। उक्त प्रावधानों के तहत उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) के मतदान के लिये 7 जुलाई 2025 (सोमवार) को नगरपरिषद बिछिया के वार्ड नं. 13 में पार्षद के रिक्त पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थापित दुकानों/फैक्ट्रियों/ऑफिसों (कार्यालय) आदि में नियोजित कर्मचारियों को 7 जुलाई (सोमवार) का सार्वजनिक (सवैतनिक) अवकाश घोषित किया गया है।

नर्मदा तट पर स्थित घाटों, झूलापुल, संगम आदि समस्त स्थानों पर लोगों का आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित

मंडला, देशबन्धु। अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सोनल सिडाम ने बताया कि वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में नदी नाले उफान पर हैं। नागरिकों से अपील है कि झरने तालाब, बड़े गडढे एवं अन्य स्त्रोत जहां वर्षा ऋतु का जल जमाव होता है उन स्थलों पर न जाएं अथवा दूर रहें।

जो लोग वर्षा ऋतु के दौरान पिकनिक, घूमने या अन्य किसी भी उद्देश्य से उक्त स्थल पर जा रहें है जिससे भविष्य में गंभीर दुर्घटना होने की संभावना है। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मण्डला द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अत्यधिक बारिश होने से नर्मदा नदी के किनारे, सहस्त्रधारा, माहिष्मति घाट (छोटा रपटा पुल), झूलापुल, नावघाट, रंगरेज घाट, संगमघाट में अत्यधिक बारिश होने से जल खतरे के निशान के ऊपर बहने से दुर्घटना होने की संभावना है। उक्त स्थानों में बड़ी संख्या में जनसमुदाय पर्यटन के उद्देश्य से एवं सेल्फी लेने एकत्रित हो रहे हैं।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी मण्डला ने म.प्र. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित की है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि अनुभाग मण्डला अंतर्गत नदी, नाला, तालाब, जल भराव एवं उफान वाले स्थलों पर आमजनों का आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त स्थलों में बाढ़ आने की परिधी में प्रवेश किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति का नर्मदा तट पर स्थित समस्त घाटों में, सहस्त्रधारा आदि उपरोक्त स्थलों में संपूर्ण वर्षाकाल समाप्त होने तक जाना एवं नहाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

नर्मदा तट पर स्थित घाटों पर झूलापुल, संगम आदि समस्त स्थानों पर सेल्फी लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। पहाड़ी स्थल जहां भू-स्खलन या जमीन धसकने की संभावना हो, उसके 100 मीटर के दायरे में आमजन का प्रवेश वर्जित होगा। स्थानीय माहिष्मती घाट से महाराजपुर को जोड़ने वाले छोटे पुल पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। अनुभाग अंतर्गत अधिक जल होने पर किसी भी पुल, पुलिया आदि से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को सुना जाना संभव नहीं है और न ही ऐसी परिस्थितियां है जिससे उक्त आदेश सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत यह आदेश 5 जुलाई 2025 से वर्षा ऋतु की समाप्ति तक संपूर्ण अनुभाग मण्डला की सीमा (ग्रामीण/शहरी) पर तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।